Proposal for Prior Approval of Lay-out of Multi-Storeyed Buildings by Chief Engineer Concerned

4214. SHRI N. SELVARAJU: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether many multi-storeyed Buildings collapsed recently at Delhi, Bombay and Bangalore, killing many people and causing loss to the properties; and

(b) whether there is any concrete proposal with Government to insist that the proposal of construction of multi-storeyed buildings shall be approved only if the layout and design are approved by the Chief Engineer (Buildings) concerned on the condition that the individuals and organisations pay prescribed fees for the same?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

दिल्ली दुग्ध योजना में सहायक प्रशासन अधिकारी की पदोन्नति के लिए सेवा अवधि

4215. श्री अनवार अहमद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में सहायक प्रशासन अधिकारी को प्रशासन अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने के लिए कितनी न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या वर्तमान कुछ प्रशासन अधिकारियों को सहायक प्रशासन अधिकारी के पद पर निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि या परिवीक्षा अवधि पूरी करने से पहले पदोन्नत कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा और मानदण्ड क्या है और उन्हें छूट देने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भर्ती नियमों के अनुसार ऐसे सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने उस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो, दिल्ली दुग्ध योजना में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं। इसके न हो सकने पर ऐसे सहायक प्रशासनिक अधिकारी और कार्यालय अधीक्षक, जिन्होंने उस ग्रेड में कुल मिलाकर 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा ऐसे सहायक प्रशासनिक अधिकारी और अध्यक्ष के प्रथम निजी सहायक जिन्होंने उस ग्रेड में कुल मिलाकर 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो, प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र है।

(ख) और (ग) दिल्ली दुग्ध योजना में वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति भर्ती नियमों के अनुसार की गई थी। इस मामले में भर्ती नियमों में कोई छूट नहीं दी गई थी।

Mode of Selection of Jawaharlal Nehru Award of the I.C.A.R.

4216. SHRI M. ARUNACHALAM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the mode of selection of Jawaharlal Nehru Award of the I.C.A.R.;

(b) how many people have been selected for the year 1981, with their particulars; and

(c) if so, whether the individuals were given the awards?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) According to the rules governing the Jawaharlal Nehru Award of the I.C.A.R., a Judging Committee